न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 64/2018 – निगरानी

1. ग्राम पंचायत नेगड़िया जरिये सरपंच श्रीमती मैना गुर्जर एवं सचिव परशुराम राय, पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. हरजीराम पिता गंगाराम गुर्जर निवासी मेफलियास ग्राम पंचायत नेगडिया पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बमामले ग्राम पंचायत नेगडिया की मिसल सं. 120/16–17 में पटटा सं. 03 को निरस्त करने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री बी.एल.बापना अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – गैर निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.06.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सन् 2017 में राज्य सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान चलाया गया। योजना को सफल बनाने के लिए उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायत नेगडिया ने उन लोगों के मकानों के पटटे इस अभियान में बनाये जिनके मकानों के पटटे नहीं बने हुये थे। इस अभियान के समय पटवारियों एवं ग्राम सचिवों की हड़ताल चल रही थी, जिससे उनको सहयोग भूमि की किस्म का विवरण जानने हेतु प्राप्त नहीं हो सकी और ग्राम पंचायत नेगडिया ने यह जानते हुए कि गैर निगराकार का जो पुराना मकान बना हुआ है, वह आबादी भूमि में ही होगा , उसका व अन्य लोगों के पटटे बना दिये। ग्राम पंचायत नेगडिया ने पटटा बनाने व वितरण करने का यह कार्य सद्भाविक तौर से और ग्रामीण लोगों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से किया था। इस कार्य में जानबूझकर कोई भी भूल, गलती या शिथिलता नहीं रखी गयी थी । दिनांक 05.01.2018 को ग्राम पंचायत नेगडिया द्वारा मीटिंग आयोजित की गयी। जिसमें कोरम की बैठक में वार्ड पंच श्री खमाण गुर्जर ने यह जाहिर किया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान 2017 में ग्राम पंचायत द्वारा जो पटटे वितरित किये गये उसमें कई पटटे सरकारी बिलानाम भूमि में बने हुए मकानों के भी बन चुके है। पटवारी हल्का से जानकारी करने पर बताया कि ग्राम मेफलियास की सरकारी बिलानाम आराजी सं. 822 व 824 में मकान कई लोगों के 50–60 वर्षों से बने हुए हैं। आराजी नं. 822 व 824 बिलानाम सरकारी भूमि होना बताया गया जिसमें कि मकान बने हुए हैं। गैर निगराकार ने अपने द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत शपथ पत्र में झूठे तौर से यह कथन किया कि उसका मकान आबादी भूमि में ही बना हुआ है। इस प्रकार गैर निगराकार ने ग्राम पंचायत को अंधेरे में रखा हैं और शपथ पत्र में मिथ्या कथन किया है। जानकारी मिलने पर ग्राम

पंचायत नेगडिया ने इस विषम स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया तो उन्होंनें सलाह दी कि चूंकि बिलानाम सरकारी भूमि में पटटे देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत तो केवल आबादी भूमि में ही कोई पटटा बना सकती है। इसलिये ग्राम पंचायत को चाहिये कि वह सरकारी भूमि में गैर निगराकार व अन्य लोगों को दिये गये पटटों को निरस्त कराने के लिये सक्षम अधिकारी के यहां पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी प्रस्तुत करें। अतः प्रार्थना हैं कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान 2017 में गैर निगराकार को बिलानाम सरकारी भूमि में दे दिये गये उक्त आवासीय पटटे को निरस्त कराया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 14.02.2018 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत नेगडिया से पत्रावली तलब की गयी। गैर निगराकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 07 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि सन् 2017 में राज्य सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान चलाया गया। योजना को सफल बनाने के लिए उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायत नेगडिया ने उन लोगों के मकानों के पटटे इस अभियान में बनाये जिनके मकानों के पटटे नहीं बने हुये थे। इस अभियान के समय पटवारियों एवं ग्राम सचिवों की हड़ताल चल रही थी, जिससे उनको सहयोग भूमि की किस्म का विवरण जानने हेतु प्राप्त नहीं हो सकी और ग्राम पंचायत नेगडिया ने यह जानते हुए कि गैर निगराकार का जो पुराना मकान बना हुआ है, वह आबादी भूमि में ही होगा, उसका व अन्य लोगों के पटटे बना दिये। ग्राम पंचायत नेगडिया ने पटटा बनाने व वितरण करने का यह कार्य सद्भाविक तौर से और ग्रामीण लोगों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से किया था। इस कार्य में जानबूझकर कोई भी भूल, गलती या शिथिलता नहीं रखी गयी थी। दिनांक 05. 01.2018 को ग्राम पंचायत नेगडिया द्वारा मीटिंग आयोजित की गयी। जिसमें कोरम की बैठक में वार्ड पंच श्री खमाण गुर्जर ने यह जाहिर किया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान 2017 में ग्राम पंचायत द्वारा जो पटटे वितरित किये गये उसमें कई पटटे सरकारी बिलानाम भूमि में बने हुए मकानों के भी बन चुके है। पटवारी हल्का से जानकारी करने पर बताया कि ग्राम मेफलियास की सरकारी बिलानाम आराजी सं. 822 व 824 में मकान कई लोगों के 50–60 वर्षों से बने हुए हैं।आराजी नं. 822 व 824 बिलानाम सरकारी भूमि होना बताया गया जिसमें कि मकान बने हुए हैं। गैर निगराकार ने अपने द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत शपथ पत्र में झूठे तौर से यह कथन किया कि उसका मकान आबादी भूमि में ही बना हुआ है। इस प्रकार गैर निगराकार ने ग्राम पंचायत को अंधेरे में रखा हैं और शपथ पत्र में मिथ्या कथन किया है। जानकारी मिलने पर ग्राम पंचायत नेगडिया ने इस विषम स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया तो उन्होंनें सलाह दी कि चूंकि बिलानाम सरकारी भूमि में पटटे देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत तो केवल आबादी भूमि में ही कोई पटटा बना सकती है। इसलिये ग्राम पंचायत को चाहिये कि वह सरकारी भूमि में गैर निगराकार व अन्य लोगों को दिये गये पटटों को निरस्त कराने के लिये सक्षम अधिकारी के यहां पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी प्रस्तुत करें। प्रार्थना हैं कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान 2017 में गैर निगराकार को बिलानाम सरकारी भूमि में दे दिये गये उक्त आवासीय पटटे को निरस्त कराया जावे।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार द्वारा ही विपक्षी गैर निगराकार के पक्ष में पटटे जारी किये गये हैं तथा जारी किये गये पटटे का पंजीयन भी करवाया गया है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत नेगडिया को धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत उक्त निगरानी प्रस्तुत करने का कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है। पंजीकृत पटटे दस्तावेज को निरस्त कराने का एकमात्र अधिकार सिविल न्यायालय को है। न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2015 (2) पेज 967 अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त नहीं किया जा सकता है, पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का एकमात्र अधिकार सिविल न्यायालय को है। पंचायत द्वारा पटटे पूरी तरह नियमानुसार ही जारी किये हुए है तथा गैर निगराकार विपक्षी का कब्जा काफी पुराना होने एवं पक्का मकान बना होने के आधार पर ही पटटा नियमानुसार राज्य सरकार के निर्देशों की पालना से जारी किया हैं। ग्राम पंचायत को निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। निगरानी असत्य एवं आधारहीन तथ्यों पर है जो खारिज होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगरानी निगराकार खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मौका निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 08.03.2017 में मकान आबादी में होना अंकित किया हैं, लेकिन पटटे वाली 399 वर्ग फीट भूमि में से 25 प्रतिशत क्षेत्रफल का अंकन संनिर्मित होने मौका निरीक्षण रिपोर्ट ग्राम पंचायत नेगडिया में नहीं हैं, जबकि सरपंच ग्राम पंचायत नेगडिया ने गैर निगराकार के नाम आराजी नं. 822 व 824 बिलानाम सरकारी भूमि में आवासीय पटटा जारी करना अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित करते हुये उक्त पटटे को निरस्त करने की प्रार्थना की है। 157 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं –

पुराने गृहों का विनियमतीकरण –

1. जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पटटा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जा सकेगा ।

(i) 300 वर्गगज तक के क्षैत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षैत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षैत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षैत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में 100/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान 200/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए

(ii) उपर्युक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्रफल के लिए, राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत ।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

गैर निगराकार द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत नेगडिया को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम मेफलियास में पुश्तैनी मकान कितने वर्ष पुराना हैं? किस आराजियात पर स्थित हैं? का अंकन नहीं किया गया है। गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पूर्ण जानकारी नही देने से गैर निगराकार को जारी पटटा सं. 03 विधि विरूद्व बिलानाम भूमि में जारी किया जाना प्रतीत होता है। सरपंच ग्राम पंचायत नेगडिया एवं सचिव ग्राम पंचायत नेगडिया ने भी अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में बिलानाम सरकारी भूमि में गैर निगराकार के पक्ष में आवासीय पटटा जारी करना अंकित किया है। बिलानाम भूमि में आवासीय भूमि का पटटा जारी करने के अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। उक्त जारी किया गया पटटा विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है। साथ ही पटटा दिनांक 05.05.2017 को कार्यरत सरपंच ग्राम पंचायत नेगड़िया एवं सचिव ग्राम पंचायत नेगड़िया ने बिलानाम भूमि पर पटटे जारी करके विधि विरूद्व कार्य किया हैं जो लोक सेवक के कर्तव्यों के विपरीत है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 38 के तहत पटटा दिनांक 05.05.2017 को कार्यरत सरपंच ग्राम पंचायत नेगड़िया एवं सचिव ग्राम पंचायत नेगड़िया के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा को लिखा जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत नेगडिया स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत नेगडिया पटटा सं. 22 मिसल सं. 120 सन् 16–17 को निरस्त किया जाता है। पटटा दिनांक 05.05.2017 को कार्यरत सरपंच व ग्राम सचिव ग्राम पंचायत नेगड़िया ने बिलानाम भूमि पर पटटे जारी करके विधि विरूद्व कार्य किया हैं जो लोक सेवक के कर्तव्यों के विपरीत है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 38 के तहत पटटा दिनांक 05.05.2017 को कार्यरत सरपंच के विरूद्व कार्यवाही हेतु एवं ग्राम सचिव ग्राम पंचायत नेगड़िया के विरूद्व सी.सी.ए. रूल्स 1958 के तहत कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा को लिखा जावे कि पटटा दिनांक 05.05.2017 को कार्यरत सरपंच के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया जावे एवं ग्राम सचिव ग्राम पंचायत नेगडिया के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही कर पालना से 2 माह में अवगत कराया जावे। उक्त निर्णय की प्रति श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय (पंचायत) भीलवाडा को भी प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा को प्रेषित किया जावे । निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत नेगडिया पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

06/06/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)